**भारत सरकार**

**नागर विमानन मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**मौखिक प्रश्न संख्या : 54**

सोमवार, 12 दिसंबर, 2022 (21 अग्रहायण,1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

**<u>हवाई टिकटों की कीमतों में अतिशय वृद्धि</u>**

***54. श्री राम नाथ ठाकुर:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि त्योहारों के समय पूर्वांचल और बिहार जाने वाली उड़ानों के हवाई टिकटों की दरों में अतिशय वृद्धि हुई थी;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दीपावली और छठ पूजा के दौरान पूर्वांचल और बिहार जाने वाली उड़ानों के लिए टिकट की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई और टिकटों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या व्यवस्था है ताकि आम उपभोक्ताओं की जेब पर असीम भार न पड़े; और

(ग) हवाई टिकटों की कीमतों की अधिकतम सीमा का व्यौरा क्या है?

**<u>उत्तर</u>**

**<u>नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)</u>**

(क) से (ग) तक: वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"हवाई टिकटों की कीमतों में अतिशय वृद्धि" के संबंध में राज्य सभा के दिनांक 12.12.2022 के तारांकित प्रश्न संख्या 54 में संदर्भित वक्तव्य।

(क) से (ग) तक: प्रचलित विनियम के अनुसार, हवाई किराए सरकार द्वारा विनियमित नहीं किए जाते हैं। वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 के उप नियम (1) के प्रावधान के तहत, अनुसूचित हवाई सेवाओं से जुड़े, प्रत्येक हवाई परिवहन उपक्रम द्वारा, प्रचालन की लागत, सेवाओं की विशेषता, युक्ति-युक्त लाभ और आम तौर पर प्रचलित टैरिफ सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ निर्धारित करना अपेक्षित है। एयरलाइनें अपनी प्रचालन व्यवहार्यता के अनुसार, उपर्युक्त नियम के अनुपालन के अध्यधीन, औचित्यपूर्ण हवाई किराया वसूल सकती हैं।

एयरलाइन मूल्य निर्धारण प्रणाली कई स्तरों [बकेट या आरबीडी (रिज़र्वेशन बुकिंग डेज़िगनेटर्स)] पर काम करती है जो कि वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही परिपाटी की तर्ज पर है। एयरलाइनों द्वारा, कीमतों का निर्धारण, बाजार, मांग, पर्यटन अवधि और अन्य बाजार कारकों के मद्देनजर किया जाता है। जैसे ही एयरलाइनों द्वारा कम किराए के बकेट की बिक्री कर दी जाती है वैसे ही हवाई किराया बढ़ जाता है। कुछ एयरलाइनों ने 60 दिन, 30 दिन, 14 दिन आदि की मौजूदा अग्रिम खरीद योजना के अलावा एपेक्स-90 योजना शुरू की है, जिसमें अत्यधिक रियायती किरायों की पेशकश की जा रही है, जिससे व्यस्ततम अवधि के दौरान भी कम किराए पर यात्रा करना संभव है। उपर्युक्त नियमित किराया संरचना, एयरलाइनों द्वारा अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित की जाती हैं। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की एक टैरिफ निगरानी इकाई है, जो मासिक आधार पर कतिपय मार्गों के संबंध में किराए की निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित सीमा से ऊपर किराया नहीं वसूल रहीं। एयरलाइनें, वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 के उप नियम (2) की अनुपालना करती हुई मानी जाती हैं, जब तक उनके द्वारा लिया गया किराया उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किराए के अनुरूप है।

मार्च 1994 में, वायु निगम अधिनियम को निरस्त किए जाने से, टैरिफ निर्धारण को नियंत्रण-मुक्त कर दिया गया है और एयरलाइनें, वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के तहत युक्ति-युक्त किराए का निर्धारण कर सकती हैं।

****